प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तरप्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अम्बेडकर नगर।

आवंटन
अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–45150010107–24

संख्याः 1/शा0/75/2014–1/325/2014 लखनऊः दिनांक 20 फरवरी, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–14 में आयोजनागत योजनान्तर्गत जनपद अम्बेडकर नगर में निर्माणाधीन लोहिया भवन के निर्माण हेतु बजट का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–302/33–3–2014–31/2005टी0सी0 दिनांक 18 फरवरी, 2014 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में जनपद अम्बेडकर नगर में निर्माणाधीन लोहिया भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि **रू0–56.80 लाख के सापेक्ष स्वीकृत शतप्रतिशत धनराशि रू0–56.80 लाख (रूपया छप्पन लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– प्रायोजना का निर्माण कार्य समय से पूर्ण किया जाय। प्रायोजना का अब कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

2– प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानो को यथावत् मानते हुए लागत का आकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, ड्राइंग एवं डिजाइन में परिर्वतन, अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

4– उक्त आवंटित धनराशि नियमानुसार व आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा व्यय उन्हें कार्यो/मदो पर किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि आवंटित की जा रही है। किसी भी दशा में आवंटित धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

5– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या– 14 के लेखाशीर्षक "4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–101–पंचायती राज–07–जनपद अम्बेडकर नगर में लोहिया भवन का निर्माण–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायगा तथा प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–640/दस–2013– 231/2013 दिनांक 28 मार्च, 2013 में इंगित व्यवस्थाओं तथा अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृ0पृ0उ0

Lohia Bhawan (14) Allotment 13-14

6— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

7— किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

8— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—27 पर अंकित है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/75/1/2014 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.
2— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0, लखनऊ।
4— परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0, राजकीय निर्माण निगम, इंजीनियरिंग कालेज, इकाई सद्दरपुर, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल, कालेज, अम्बेडकर नगर।
5— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
6— जिला पंचायत राज अधिकारी, अम्बेडकर नगर।
7— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
8— उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
9— उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(शहजाद अहमद अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014

आवंटन दिनांक-20/02/2014

प्रेषण संख्या:- 1-sha-75-2014-1-325-2014

आवंटन आदेश संख्या:- 001-325-2014

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज

07 - जनपद अम्बेडकर नगर में लोहिया भवन का निर्माण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	5680000 5680000	5680000 5680000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5680000 5680000	5680000 5680000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छप्पन लाख अस्सी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छप्पन लाख अस्सी हजार

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

शहजाद अहमद अंसारी